

## नोटिस

हरियाणा राज्य में स्थित डी.एल.एड. कोर्स को संचालित कर रही सभी स्वयंपोषित संस्थाओं के प्राचार्यों को अवगत कराया जाता है कि अभ्यर्थियों को डी.एल.एड. वर्ष 2018-20 में प्रवेश देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए तथा विभागीय नियमों की दृढ़ता से पालना की जाए -

- अभ्यर्थियों से ली गई फीस उसी दिन बैंक में जमा करवाई जाए। अवकाश होने की परिस्थिति में अगले कार्य दिवस को।
- संस्था में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाए।
- डी.एल.एड. की परीक्षा से पूर्व छात्र अध्यापकों के 10+2 के प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड से वैरिफाई करवा लिए जाएँ।
- परीक्षा से पूर्व सभी छात्र अध्यापकों के मूल प्रलेख/प्रमाण पत्र हर अवस्था में लौटा दिए जाएँ तथा पावती प्राप्त कर ली जाए।
- डी.एल.एड. कोर्स की फीस विभागीय नियमानुसार प्रवेश के समय ही ली जाए।
- छात्र अध्यापकों के प्रवेश उपरांत उन द्वारा जमा करवाए गए सभी दस्तावेजों की फोटोप्रति आप द्वारा सत्यापित करके परिषद् में भेजें।
- दिनांक 10-10-2018 तक अपनी संस्था में कार्यरत स्टाफ एन.सी.टी.ई. के नये नियमानुसार एप्रूव करवाया जाए। किसी भी स्टाफ सदस्य के संस्था को छोड़कर चले जाने की अवस्था में नियुक्त किए गए स्टाफ सदस्य की एप्रूवल लें।
- डी.एल.एड. प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएँ दिनांक 10-09-2018 से आरम्भ की जाए।

03/10/18  
निदेशक  
3/10/18

## Notice

हरियाणा राज्य में स्थित सरकारी एवं स्वयंपोषित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि डी. एल.एड. कार्डसिलिंग के उपरान्त ऑन लाइन ही अपने-अपने संस्थानों की स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करनी है। इसके लिए पासवर्ड एवं कंट्रोल आई.डी. नम्बर पहले ही दी जा चुकी है और स्वयंपोषित संस्थानों द्वारा निम्न दस्तावेज जमा करवाने हैं -

- 1 निर्धारित फीस से अधिक फीस चार्ज न करने के संबंध में 10/- रुपये स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
- 2 स्टाफ स्टेटमेंट पर निर्धारित स्टाफ एप्रूवल की प्रति।

नोट : किसी भी स्वयंपोषित संस्थान की फीस संबंधी शिकायत इस परिषद में प्राप्त होने पर अधिक फीस मांगने/लेने की पुष्टि हो जाती है तो उस अवस्था में संस्थान को भविष्य में होने वाली डी.एल.एड. कार्डसिलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गाननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय वण्डीगढ़ की CWP No 6202/2011 के दिशा निर्देश अनुसार 25000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

03/10/18  
निदेशक  
रा.शै.अनु.एवं प्रशि.परिषद्  
हरियाणा, गुडगाँव  
3/10/18